16436

सीमा शुल्क आयुक्त का कार्यालय
तिरुचिरापल्लि
16 JAN 2020
OFFICE OF THE COMMISSIONER OF CUSTOMS
TIRUCHIRAPPALLI-1

IS 15700 SQMS IS 15700 CERTIFIED COMMISSIONERATE	सीमा शुल्क आयुक्त कार्यालय, (निवारक) OFFICE OF THE COMMISSIONER OF CUSTOMS (PREVENTIVE) नं 1, विल्लियम्स रोड, कन्टोनमेंट, तिरुच्चिराप्पल्लि 620001 NO.1 WILLIAMS ROAD, CANTONMENT, TIRUCHIRAPPALLI-620 001 Phone No.0431 2418819	E-mail: cuspoltry@gmail.com

C. No. VIII/09/04/2017 –Cus.Pol P-II

Date: .01.2020

Trade Notice No.01 /2020

Subject: Levy and Collection of Social Welfare Surcharge (SWS) on imports under various schemes such as Merchandise Exports from India Scheme (MEIS), Services Exports from India Scheme (SEIS) etc.

Attention of the Importers/Exporters, Customs Brokers, Trade and other Stakeholders is invited to Board's Circular No.02/2020- Customs dated 10.01.2020 on the above mentioned subject and the present practice regarding its debit through duty credit scrips such as MEIS, SEIS etc. of the Foreign Trade Policy (FTP).

2. C&AG at Chennai has pointed out that SWS should be paid in cash in respect of imports where duty is debited under MEIS scrips as the relevant Customs exemption notification exempts only Customs duty leviable under First Schedule of Customs Tariff Act, 1975. Further, representations have been received from the trade that as the goods cleared against MEIS scrips are exempted from Basic and Additional Duty of Customs, therefore SWS should also be zero. The levy of SWS has also been challenged in various High Courts by the trade on the said ground.

3. The matter has been examined by the Board. As per Section 110 of the Finance Act, 2018, SWS is levied and collected, on the goods imported into India, as a duty of Customs on the goods specified in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975. The SWS is calculated at the rate of ten per cent on the aggregate of duties, taxes and cesses which are levied and collected under section 12 of the Customs Act, 1962. This surcharge is in addition to any other duties of Customs or tax or cess chargeable on imported goods.

4. The duty credit scrips issued under schemes such as MEIS, SEIS, etc. are granted as rewards/ incentives for exporters under the respective FTP. As per Para 3.02 of the Foreign Trade Policy 2015—20, these scrips can be used for payment of Basic Customs Duty and Additional Customs Duty specified under sections 3 (1), 3 (3) and 3 (5) of the Customs Tariff Act, 1975 for import of

Scanned by CamScanner

inputs or goods and for payment of Central Excise duties on domestic procurement of inputs or goods. The relevant Customs exemption notifications also allow debit of Basic Customs Duty and Additional Duties of Customs in the duty credit scrips. It is to mention that the debit of SWS through duty credit scrip is not envisaged in the FTP and the exemption notifications.

5. Further, as per para 3.15 of the FTP, Basic Customs Duty paid through debit in the duty credit scrip is allowed to be adjusted for duty drawback. Duties debited in duty credit scrip are taken into account while determining the All Industry Rates and Brand Rate of duty drawback. Similarly, Additional Customs Duty paid on imported goods and Central Excise duty paid on domestic procurement of goods is also allowed to be adjusted as CENVAT Credit or Duty Drawback. Hence duty credit scrips are only a mode of payment of duty and not an exemption from duty even though the use of the said scrip is governed by an exemption notification.

6. In this regard, attention is invited to the judgement dated 06.12.2019 of the Hon'ble Supreme Court in the case of M/s Unicorn Industries Vs. Union of India and Others (Civil Appeal Nos. 9237 & 9238 of 2019) wherein it has inter-alia been held that "A Notification has to be issued for providing exemption under the said source of power. In the absence of a notification containing an exemption to such additional duties in the nature of education cess and secondary and higher education cess, they cannot be said to have been exempted... The proposition urged that simply because one kind of duty is exempted, other kind of duties automatically fall, cannot be accepted as there is no difficulty in making the computation of additional duties, which are payable under NCCD, education cess, secondary and higher education cess. Moreover, statutory notification must cover specifically the duty exempted. When a particular kind of duty is exempted, other types of duty or cess imposed by different legislation for a different purpose cannot be said to have been exempted".

7. The ratio of the afore-cited judgement is seen to apply to the issue at hand of levy of SWS on imported goods when the Basic Customs Duty and Additional Duties of Customs are debited through duty credit scrips.

8. The matter was also referred to the Department of Legal Affairs for their legal opinion in light of the above-cited judgement. The Department of Legal Affairs has opined that since the Supreme Court has categorically held that a separate Notification has to be issued for providing exemption from additional duties in the nature of education cess and secondary and higher education cess, the same cannot be said to have been exempted and as per Article 141 of the Constitution, the law declared by the Supreme Court is binding on all Courts within the territory of India, the same occupies the field. It was further opined that therefore there appears to be no legal bar for levy and collection of SWS.

Scanned by CamScanner

9. In view of above there appears no exemption from SWS in the FTP and the relevant Customs exemption notifications. Keeping in view the ratio laid down by Hon'ble Supreme Court in judgement dated 06.12.2019 (supra), it is clarified that SWS is not exempted and has to be levied and collected on the imported goods.

10. It is further noted that as per past practice, SWS is being allowed to be debited in the duty credit scrips along with Basic Customs Duty and Additional Duties of Customs. However, keeping in view the position explained hereinabove, it emerges that SWS cannot be debited through duty credit scrips and therefore has to be paid by the importer in cash. Directorate General of Systems has been requested to make the relevant System level changes in this regard.

11. With regard to the past cases of debits of SWS already made in duty credit scrips, it has been decided by the Board that for ensuring ease of doing business, such past cases should not be disturbed and the payments made through debit in duty credit scrips may be accepted as revenue duly collected and recoveries in cash not be insisted for these cases.

12. Difficulties, if any, may be brought to the notice of the Commissioner of Customs (P), Trichy.

13. Hindi Version will follow

14/1/20

(D. ANIL)
COMMISSIONER

To
The Trade Associations (as per mailing list)

Copy submitted to: The Principal Chief Commissioner of Customs (Preventive), Trichy
Copy to :
The Additional Commissioner of Customs
(Prev.), Trichy
The Joint Commissioner of Customs, Trichy
The Assistant Commissioners, Hqrs. Office, All Divisions/CPUs/All ICDs/CFSs/Air Cargo Complexes
EDI Section, Hqrs. with a request to upload the TN in Website
Hindi Cell (for translation)
Notice Board

Scanned by CamScanner

सीमा शुल्क आयुक्त का कार्यालय (निवारक)
OFFICE OF THE COMMISSIONER OF CUSTOMS (PREVENTIVE)
नं 1, विल्लियम्स रोड, कन्टोनमेंट, तिरुच्चिराप्पल्लि-620 001
NO.1 WILLIAMS ROAD, CANTONMENT, TIRUCHIRAPPALLI– 620 001
दूरभाष / फैक्स: 0431-2418819::E-mail: cuspoltry@gmail.com

C. No. VIII/09/04/2017-सीशु नीति (अं फा ।।) दिनांक: 14.01.2020

व्यापार सूचना सं. 01/2020

विषय: विविध योजना जैसे भारत योजना से माल का निर्यात (एमईआईएस), भारतीय योजना से सेवा निर्यात (एसईआईएस) इत्यादि के तहत आयात पर समाज कल्याण अधिभार (एस डब्ल्यू एस) की उगाही एवं संग्रह।

आयतकों / निर्यातकों सीमा शुल्क दलाल, व्यापार तथा अन्य हितधारकों का उपर्युक्त विषय एवं वर्तमान चलन में इ्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्स जैसे कि विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) की एमईआईएस, एसईआईएस के माध्यम से डेबिट के संबंध में बोर्ड के परिपत्र संख्या 02/2020 - सीमा शुल्क दिनांक 10.01.2020 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है।

2. सीएवंएजी, चेन्नै ने हिदायत दी है कि, क्योंकि संबद्ध सीमा शुल्क छूट अधिसूचना, सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 की प्रथम अनुसूची के तहत लगाए जाने वाले सीमा शुल्क को ही छूट देती है अतः जहाँ एमईएस स्क्रिप्स के तहत शुल्क नामे किया गया है, आयात के संबंध में एसबइल्यूसी का नकद भुगतान किया जाना चाहिए। आगे व्यापार समूह से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि एमईआईएस स्क्रिप्स के लिए निकासी किए गए माल को मूल एवं अतिरिक्त सीमा शुल्क से छूट प्राप्त है इसलिए एसडब्ल्यूएस भी शून्य होना चाहिए। उक्त आधार पर एसडब्ल्यूएस की उगाही को व्यापार द्वारा विविध उच्च न्यायालयों में चुनौती दी गई है।

3. बोर्ड द्वारा मामले की जाँच की गयी है। वित्त अधिनियम 2018 की धारा 110 के अनुसार भारत में आयात माल पर एसडब्ल्यूएस की उगाही एवं संग्रह सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट सीमा शुल्क कर के रूप में किया जाता है। एसडब्ल्यूएस की गणना सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 12 के अंतरगत उगाही एवं संग्रहीत किए गए शुल्क, कर एवं उपकरों के कुल योग पर दस प्रतिशत की दर से की जाती है। आयात माल पर देय सीमा शुल्क ड्यूटी, कर, उपकर पर यह अतिरिक्त अधिभार है।

4. संबंधित एफटीपी के अंतर्गत निर्यातकों के लिए एमईआईएस, एसईआईएस जैसी योजनाओं के अंतर्गत जारी की गई ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्स को पारितोषिक / प्रोत्साहन के रूप में दिया जाता है। विदेश व्यापार नीति 2015-20 के पैरा 3.02 के अनुसार इन स्क्रिप्स का प्रयोग सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 की धारा 3(1), 3(3) और 3(5) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट निविष्टियाँ और माल के आयात के लिए मूल सीमा शुल्क एवं अतिरिक्त सीमा शुल्क तथा निविष्टियों और माल की घरेलू खरीद पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के लिए किया जा

Scanned by CamScanner

सकता है। संबद्ध सीमा शुल्क छूट अधिसूचना भी सभी इयूटी क्रेडिस स्क्रिप्स में मूल सीमा शुल्क एवं अतिरिक्त सीमा सुल्क नामे करना स्वीकार करता है। उल्लेख किया जाता है कि इयूटी क्रेडिट स्क्रिप्स के माध्यम से एसड़बल्यएस का नामे करना एफटीपी एवं छूट अधिसूचनाओं में उल्लिखित नहीं है।

5. आगे एफटीआई के पैरा 3.15 के अनुसार इयूटी क्रैडिस स्क्रिप्स में नामे के माध्यम से मूल सीमा शुल्क कर के भुगतान का समायोजन इयूटी ड्राबैक के लिए किया जा सकता है। इयूटी क्रैडिट स्क्रिप्स में नामे किए गए शुल्क को इयूटी ड्राबैक की अखिल उद्योग दर एवं ब्रांड दर निर्धारित करने में गणना में लिया जाता है। इसी प्रकार आयात माल पर भुगतान किया अतिरिक्त सीमा शुल्क तथा माल की घरेलू खरीद पर भुगतान किया गया केन्द्रीय उत्पाद शुल्क को भी सेनवेट क्रेडिट या इयूटी ड्राबैक में समायोजन किया जा सकता है। अतः इयूटी क्रैडिट स्क्रिप्स केवल शुल्क के भुगतान का माध्यम है इयूटी से छूट नहीं है भले ही उक्त स्क्रिप्स का प्रयोग छूट अधिसूचना द्वारा शासित है।

6. इस संबंध में, माननीय उच्चतम न्यायालय के मेसर्स यूनिकार्न इंडस्ट्रीस बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य (सिविल अपील सं 2019 के 9237 व 9238) दिनांक 06.12.2019 के निर्णय की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसमें अन्य बातों के साथ साथ यह भी कहा गया है कि *" उक्त शक्ति की स्रोत के अधीन छूट देने के लिए एक अधिसूचना जारी किया जाना है । शिक्षा उपकर और माध्यमिक एवं उच्चतर शिक्षा उपकर के रूप में इस तरह की अतिरिक्त इयूटियों के लिए छूट संबंधी अधिसूचना के अभाव में, उनको छूट प्राप्त नहीं कहा जा सकता है... उस प्रस्ताव ने इस विषय पर ज़ोर दिया कि यह स्वीकार्य नहीं होगा कि एक प्रकार की इयूटी को छूट प्राप्त होने से अन्य प्रकार की इयूटियॉ भी उसी प्रकार छूट प्राप्त होंगी क्योंकि अतिरिक्त इयूटियों जो कि एनसीसीडी, शिक्षा उपकर, माध्यमिक एवं उच्चतर शिक्षा उपकर के अधीन देय हैं, की गणना में कोई कठिनाई नहीं है । इसके अतिरिक्त सांविधिक अधिसूचना में छूट दी गयी इयूटी को विशिष्ट रूप से शामिल करना है । जब एक प्रकार की इयूटी के लिए छूट दी जाती है तो यह नहीं कहा जा सकता है कि अलग उद्देश्य के लिए अलग विधि द्वारा लगाए गए अन्य प्रकार की इयूटीयॉ या उपकर को छूट दी गयी है ।"* संपूर्ण निर्णय आपके द्वारा भी देखा जाए ।

7. ऊपर उल्लिखित निर्णय का अनुपात आयातित माल पर एसडबल्यूएस की उगाही के वर्तमान मामले पर लागू होते देखा जाता है जब मूल सीमा शुल्क एवं अतिरिक्त सीमा शुल्क इयूटियों को इयूटी क्रेडिट स्क्रिप्स द्वारा डेबिट किया जाता है ।

8. ऊपर उल्लिखित निर्णय के संबंध में मामले को विधिक कार्य विभाग को भी उनके विधि मत लेने के लिए भेजा गया था । विधिक कार्य विभाग ने यह राय दी है कि चूँकि उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि शिक्षा उपकर, माध्यमिक एवं उच्चतर शिक्षा उपकर जैसे अतिरिक्त इयूटी से छूट देने के लिए अलग अधिसूचना जारी किया जाना है उसको छूट प्राप्त नहीं माना जा सकता है और संविधान की धारा 141 के अनुसार उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के क्षेत्र के अंतर्गत स्थित सभी न्यायालयों के लिए बाध्य होगा और इस मामले में भी बाध्य है । आगे यह भी कहा गया था कि एसडबल्यूएस की उगाही और संग्रहण के लिए कोई विधिक रोध नहीं है ।

9. उपरोक्त के मद्देनजर एफटीपी और संगत सीमा शुल्क छूट अधिसूचनाओं में एसडबल्यूएस से कोई छूट नहीं है । माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 06.12.2019 (ऊपर) के निर्णय में लगाए गए अनुपात को

Scanned by CamScanner

ध्यान में लेते हुए यह स्पष्ट किया जाता है कि एसडब्ल्यूएस को छूट नहीं है और आयातित माल पर इसको लागू करके संग्रहीत करना है ।

10. इसके अलावा यह भी देखा गया है कि पूर्व पद्धति के अनुसार मूल सीमा शुल्क ड्यूटी और सीमा शुल्क के अतिरिक्त ड्यूटियों के साथ एसडब्ल्यूएस को भी ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्स में डेबिट करने की अनुमति है । तथापि ऊपर स्पष्ट की गयी स्थिति को ध्यान में लेने पर यह प्रकट हो रहा है कि एसडब्ल्यूएस को ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्स द्वारा डेबिट नहीं किया जा सकता और इसलिए आयातकर्ता द्वारा नकद में अदा करना है । सिस्टम महानिदेशालय को इस संबंध सिस्टम लेवल परिवर्तन करने का अनुरोध किया गया है ।

11. ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्स में पहले ही किए गए एसडब्ल्यूएस डेबिट के पुराने मामलों के संबंध में बोर्ड द्वारा यह निर्णय किया गया है कि व्यापार के सुगमीकरण सुनिश्चित करने हेतु ऐसे पुराने मामलों को डिस्टर्ब नहीं करना है और ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्स द्वारा डेबिट में की गयी अदायगी को वसूल किए गए राजस्व में रूप में स्वीकार करना है और ऐसे मामलों के लिए नकद रूप में वसूली पर जोर न दिया जाय ।

12. कोई भी कठिनाई, अगर हो तो, आयुक्त, सीमा शुल्क (नि) के ध्यान में लाया जाए ।

डी. अनिल
14.1.20

(डी. अनिल)
आयुक्त

सेवा में
व्यापार संघ (डाक सूची के अनुसार)

प्रतिलिपि प्रस्तुत: प्रधान मुख्य आयुक्त, सीमा शुल्क (निवारक), तिरुच्चि ।

प्रतिलिपि प्रेषित :
1. अपर आयुक्त, सीमा शुल्क (निवारक), तिरुच्चि
2. संयुक्त आयुक्त, सीमा शुल्क (निवारक), तिरुच्चि
3. सहायक आयुक्त, सीमा शुल्क, मुख्यालय, सभी मंडल/सीपीयू/ सभी आइसीडी/सीएफएस , एअर कार्गो काम्प्लेक्स ।
4. ईडीआइ अनुभाग, मुख्यालय, तिरुच्चि (तिरुच्चि सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय के वेबसाइट पर व्यापार सूचना को अपलोड करने के अनुरोध सहित हिन्दी कक्ष(अनुवाद हेतु)
5. हिन्दी कक्ष (अनुवाद हेतु)
6. नोटिस बोर्ड ।

Scanned by CamScanner